ग्राम पंचायत डन्नी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176203 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डन्नी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुरेखा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री डोडी राम	01.04.2022 से 26.04.2023
2.	श्रीमती उर्मिला देवी	27.04.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री बलकार सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री गोपाल सिंह	01.04.2022 से 30.05.2023
2	श्री पंकज कुमार	01.06.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत डन्नी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.54
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	18.37
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
4	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.07
5	7.1	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.09
6	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	2.57
7	7.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	14.00
8	8.1	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करने बारे	3.57
9	8.2	भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर करना	0.49
10	9.1	आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके, अधिक अनुमोदित दर से भुगतान करना	0.49
11	9.2	निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.24
12	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	8.52

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डन्नी का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तथा 01/04/2020 से 31/03/2022 के लिये किया गया था, जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:—

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	4	अनिर्णीत	—
2.	5	अनिर्णीत	—
3.	6	अनिर्णीत	—
4.	7	अनिर्णीत	—
5.	8	अनिर्णीत	—
6	10	अनिर्णीत	—
7	12	अनिर्णीत	—
8	13	अनिर्णीत	—

(ब) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹4800 की मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ 272 से पुष्टि उपरान्त
2.	4	अनिर्णीत	—
3.	4.2,क	अनिर्णीत	
4.	5	अनिर्णीत	—
5.	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।
6.	7.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।
7.	7.2	अनिर्णीत	—
	7.3	अनिर्णीत	—
8.	7.4	अनिर्णीत	—
9.	8.1	अनिर्णीत	—
10.	8.2	अनिर्णीत	—
11.	9.1	अनिर्णीत	—

12.	9.2	अनिर्णीत	—
13.	9.3	अनिर्णीत	—
14.	10.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।
15.	10.2	अनिर्णीत	—
16.	11.1 से 11.5.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत डन्नी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2024 से 27.09.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत व ऑनलाईन रोकडबहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	05/2022
2023—24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण **(Disclaimer)** :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेष राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/445 दिनांक—27.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/427 दिनांकः—20.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया है:—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	236526.00	194585.71	431111.71	168096.00	263015.71
2023-24	263015.71	174789.00	437804.71	294688.00	143116.71

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1918308.82	4916823.98	6835132.80	5075154.00	1759978.80
2023-24	1759978.80	2301690.00	4061668.80	2224404.00	1837264.80

कुल योग (1+2) 143116.71+1837264.80 **=1980381.51**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष ₹19,80,381.51/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹18,26,641.51/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/एस.डी.आर.एफ/आई.सी.डी.एस/वी.के.वी.एन.वाई/एम.	का•के•सह•बैंक नूरपुर	20003062158	601279.24

	पी.लेड / आर.जी.एस.ए / टी. एस.सी			
2	आई.ए.वाई / ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक नूरपुर	50051961111	823.00
3	आई.डबल्यू.डी.पी	का•के•सह•बैंक नूरपुर	20003062759	24675.27
4	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	आई•सी•आई•सी•आई• बैंक जस्सूर	374401000251	1198964.00
	हस्तगत शेष			900
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹1826641.51
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1980381.51
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹1826641.51
अन्तरः–				₹153740

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज आपत्ति उपरान्त भी नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹1.54 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत डन्नी द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति उपरान्त भी बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व 15वां वित की ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹153740/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। इस अनियमितता बारे गत अंकेक्षण के पैरा संख्या 4.2 में भी अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आपति को उठाया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

इस अनियमितता बारे पुनः वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 430 दिनांकः–23.09.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– शून्य

दिनांकः–27.09.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दियां जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत डन्नी के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि ,ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी. एन.वाई, एस.डी.आर.एफ, आई.सी.डी.एस, एम.पी.लेड इत्यादि की सयुंक्त रोकड़बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई, एस. डी.आर.एफ, आई.सी.डी.एस, आर.जी.एस.ए, एम.पी.लेड व टी.एस.सी आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20003062158 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/444 दिनांकः–27.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार एवं समय–2 पर जारी निर्देशानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) लेखा खाता / खाता बही तैयार न करना :–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही / लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान शीर्ष	वाउचर सं / दिनांक	बिल सं / दिनांक	कार्य का नाम	राशि ₹
1.15वां वित	14,15 / 29.05.2022	811,45298 / 16.05.2022, 03.06.2022	निर्माण रास्ता आम के पेड से कुआं तक गांव डन्नी वार्ड–4	70492
2.15वां वित	05,06 / 18.05.2022	80941701 / 16.05.2022, 27.05.2022	निर्माण रास्ता महिन्द्र सिंह,रघुवीर सिंह, करनैल सिंह गांव डन्नी वार्ड–3	46328
3.15वां वित	11,13 / 27.05.2022, 29.05.2022	41701,837 / 27.05.2022,20.05.2022	निर्माण नाली और अतिरिक्त कार्य बाबडी डन्नी वार्ड–4	57889
4.मनरेगा	08,23,40,41 / 17.05.2022,21.06.2023,28.06.2023	13918,91,97,301 / 04.03.2022,24.08.2022.21.02.2023,25.02.2023	निर्माण लिंक रोड / रास्ता सोगट से नरायण सिंह,नरिन्द्र पाल,प्रीतम सिंह इत्यादि घर सोगट वार्ड–5	321981

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/444 दिनांकः–27.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाताबहियो/लेखा खातो को तैयार करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान राशि ₹18.37/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/427 दिनांकः–20.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹18,37,264.80/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त	31.03.2024	423968.71
2	टी.एस.सी	31.03.2024	67000
3	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	62147
4	आई.ए.वाई/ए.ए.वाई	31.03.2024	836
5	13वाँ/14वाँ वित्त	31.03.2024	175163.82
6	आई.डब्लयू.डी.पी	31.03.2024	23947.27
7	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1084202
		कुल जोड	**1837264.80**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/431 दिनांक–23.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनपयोग अनुदान राशि को आगामी वर्षों में व्यय करने उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.04 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/427 दिनांकः–20.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹3670**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्ति कर/गृहकर की राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणो को बताते हुए वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष तथा वर्ष के दौरान वास्तव में कुल कितनी मांग सृजित की गई व परिशिष्ट में दर्शाई गई प्राप्ति की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/432 दिनांकः–24.09.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पत्ति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.07/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/427 दिनांकः–20.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत डन्नी द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹7050 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण भाुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022–23	4750
2	2023–24	2300
	जोड	**7050**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/432 दिनांकः–24.09.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत डन्नी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.09/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत डन्नी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹8675/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया थाः–

क्र0सं0व अनुदान	वा.स. /दिनांक	सामग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि (₹)
1. NREGA	175/21.05.2022	Wire Steel (12MM) (18%GST)	9211/02.11.2022	M/S Nurpur Trading Co.Chamba Road Lakh Data mandir Nurpur	3kg 124.150kg	82.6 67.88	248 8427.30
						Total	**8675.30**

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/438 दिनांकः–26.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.57/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत डन्नी के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹2,56,532/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

क्र0सं0 व अनुदान	वा0सं0/ दिनांक	सामग्री का विवरण	बिल.सं. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट (₹)	राशि (₹)
1.SF	08/19.05.2022	Stationary	843/04.05.2022	M/s Gautam Book Depot & General Store Nurpur	-	-	2400
2.NREGA	41/28.06.2023	Solling Stone	301/25.02.2023	M/sMangal Singh G.Cot.Danna Gurchal	36m3	766	27576
3.NREGA	40/28.06.2023	Sand Agg (10mm) Agg (20mm) Agg (40mm)	01/06.03.2023	M/s Parshotam Singh Khuwara Nurpur	31m3 15m3 38	1111 1276 1069	34441 19140 40622
4.NREGA	32/28.06.2023	Sand Agg (10mm)	97/21.02.2023	M/s Parshotam Singh Khuwara	40m3 09m3	1111 1281	44440 11529

		Agg (20mm)		Nurpur	23m3	1276	29348
		Agg (40mm)			44m3	1069	47036
					Total		256532

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/442 दिनांकः–27.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹14.00 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म 'W' या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म 'x' उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/428 दिनांकः–20.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1400965/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/441 दिनांकः–26.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना व जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नोटः–उपरोक्त व्यय अंकेक्षण अवधि 2022–23,2023–24 के दौरान समस्त क्रय की गई खनन सामग्री से संबंधित है। अंकेक्षण केवल चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो का ही किया गया।

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹3.57 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार राशि ₹3,57,473 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक हैः–

क्र0 सं0	टनुदान शीर्ष	वाउचर सं0/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	15TH FC	14/ 29.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 811 dt.-16.05.2022	3176	50816
2	15TH FC	05/18.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 809 dt.-16.05.2022	2083	33328
3	15TH FC	07/18.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 810 dt.-16.05.2022	989	15824
4	15TH FC	13/29.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 837 dt.-20.05.2022	2564	41024
5	15TH FC	12/24.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 836 dt.-20.05.2022	2770	44320
6	NREGA	62/21.05.2022	05/2022	80mm(Paver Block) from M/s Tanishka Tiles Industry Sadwan Bill No 836 dt.-20.05.2022	9306	172161
					योग	357473

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/433 दिनांक:–25.09.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–शून्य दिनांक:–27.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में उक्त सामग्री नियमानुसार ही क्रय की जाएगी, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 मनरेगा अनुदान से राशि ₹0.49 लाख का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर करनाः—

पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों/अनुदानो से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित मास के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट साईन बोर्ड खरीदने हेतु निम्नविवरणानुसार ₹49130/— का भुगतान मूल बिल पर न करके प्रोफार्मा बिल पर ही किया गया था। आपूर्तिकर्ता के मूल बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय उचित नहीं माना जा सकता है, यह एक अत्यंत गम्भीर वितीय अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0 /दिनांक	बिल सं0/ दिनांक	विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा	राशि (₹)
1	NREGA	26/23.06.2023	77/22.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
2	NREGA	27/23.06.2023	78/22.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
3	NREGA	28/23.06.2023	79/23.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
4	NREGA	29/23.06.2023	80/23.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
5	NREGA	33/28.06.2023	81/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
6	NREGA	30/23.06.2023	83/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
7	NREGA	34/23.06.2023	84/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
8	NREGA	17/21.06.2023	085/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
9	NREGA	18/21.06.2023	086/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
10	NREGA	19/21.06.2023	087/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890

11	NREGA	20/21.06.2023	88/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
12	NREGA	21/21.06.2023	089/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
13	NREGA	22/21.06.2023	090/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
14	NREGA	23/21.06.2023	091/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
15	NREGA	24/21.06.2023	092/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
16	NREGA	25/21.06.2023	094/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
17	NREGA	77/21.06.2023	093/24.08.2022	Cemented Sign Board	M/s Pnajaria Ceramic Solutions Ladori Nurpur	1	2890
					योग		49130

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/434 दिनांकः–25.09.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत डन्नी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि के मूल बिलो को आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने व तथ्यरहित होने के काण संतोषजनक नहीं पाया गया।

इस प्रकरण तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों में वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उच्च विभागीय स्तर पर कमेटी गठित कर इस कार्यशैली के चलते सम्भावित वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच करके तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवं तदानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9.1 आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके, अधिक अनुमोदित दर से ₹0.49/– लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीदने हेतु आमन्त्रित टैंडरों के उत्तर में प्राप्त तीन निविदाओं में मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा द्वारा मद बजरी

(10mm/20mm/40mm) ₹1800 प्रति घन मीटर तथा मै0 तनिशका टाईल्स इण्डस्टी सदवां नूरपुर द्वारा ₹1100,1200,800 प्रति घन मीटर तथा मै0 मंगल सिंह सरकारी ठेकेदार डन्ना गुरचाल द्वारा ₹2000 प्रति घन मीटर की दर दी गई थी। स्पष्ट रूप से इसमें से मै0 तनिष्का टाईल्स इण्डस्टी सदवां द्वारा दी गई दरे ₹1100,1200,800 व औसत दर ₹1033 ही न्यूनतम है। परन्तु नमूना अंकेक्षण में वाउचरो का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार उक्त मद का क्रय मै0 तनिष्का टाईल्स इण्डस्टी सदवां के स्थान पर मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा से किया गया। आमन्त्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा को अनुमोदित न करके, अधिक अनुमोदित दर से ₹ 49212/– का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:–

अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक/ बिल सं0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान ₹	सकेवेयर सॉफ्टवेयर अनुसार किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	31/28.06. 2023/92	मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा	बजरी(20mm (40mm)	18000 (15m3@1200) 32800 (41@800)	19140 (15m3@1276) 43829 (41@1069)	1140 11029
2.मनरेगा	32/28.06. 2023/1	मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा	बजरी(20mm (40mm)	18000 (15m3@1200) 30400 (38@800)	19140 (15m3@1276) 40622 (38@1069)	1140 10222
3.मनरेगा	35/28.06. 2023/95	मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा	बजरी(20mm (40mm) (10mm)	5400 (4.5m3@1200) 7200 (09@800) 957 (.87@1100)	5742 (4.5m3@1276) 9621 (09@1069) 1114 (.87@1281)	342 2421 157
4.मनरेगा	37/28.06. 2023/93	मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा	बजरी(20mm (40mm) (10mm) Water tank	9600 (8m3@1200) 17600 (22@800) 2200 (2@1100) 1500 (1@1500)	10208 (8m3@1276) 23518 (22@1069) 2562 (2@1281) 2160 (1@2160	608 5918 362 660
5.मनरेगा	40/28.06. 2023/ 097	मै0 प्रशोतम सिंह सरकारी ठेकेदार खुवाडा	बजरी(20mm (40mm) (10mm)	27600 (23m³@1200) 35200 (44@800) 9900 (9 m³@1100)	29348 (23 m³@1276) 47036 (44@1069) 11529 (9 m³@1281)	1748 11836 1629
कुल						49212

उक्त किये गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/443 दिनांकः–27/09/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव डन्नी के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा अवगत करवाया किया गया कि मै0 तनिष्का टाईल्स इण्डस्टी सदवां नूरपुर द्वारा उक्त रेट पर सामग्री उपलब्ध नहीं करवा सकता ,से संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया था ,जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने व तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त किये गये भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री के लिए किये गए अधिक भुगतान राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री ₹0.24 लाख की खपत न करनाः–

1.निर्माण लिंक रोड/रास्ता और अतिरिक्त कार्य नजदीक पंचायत घर डन्नी पार्ट –1 वार्ड–4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 2723 के पृष्ठ संख्या 60 व 65 अनुसार निर्माण सामग्री, का निम्न विवरण अनुसार 8295 पेवर ब्लॉक टाईल्स का निष्पादन किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 849 दिनांक 08.06.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री 9306 पेवर ब्लॉक टाईल्स का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹18704 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

2.निर्माण कार्य लिंक रोड और पुली नजदीक लजामदीन घर गांव घमेल वार्ड–1 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2723 के पृष्ठ संख्या 29 व 32 अनुसार निर्माण सामग्री, 122 बैग सीमेंट का निष्पादन किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 13923 दिनांक 04.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 136 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹5698 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

इस प्रकार शेष सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	नरेगा	पेवर ब्लॉक टाईल्स	9306	8295	1011	18.50	18704
2.	नरेगा	सीमेंट	136बैग	122बैग	14	407	5698
						कुल	24402

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–</u>

1.Item-2 -Interlock Tiles(80mm)=49.72m2X33(Tiles Factor) **=1640.76 or say 1641Tiles**
Item-2 -Interlock Tiles(80mm)=201.64m2X33(Tiles Factor) **=6654.12 or say 6654Tiles**
Total **= 8295 Tiles**

2.Item-2 -P/L(1:3:6)=9.40m3X4.40(Cement. Factor) **=41.36Bags**
Item-3 -P/L(1:2:4)=0.91m3X6.40(Cement. Factor) **=05.82Bags**
Item-5 -P/L(1:5:10)=23.76m3X2.60(Cement. Factor) **=61.77Bags**
Item-2 -P/L(1:3:6) =2.96m3X4.40(Cement. Factor) **=13.02Bags**
Total **=121.97 or say122Bags**

इन अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/439 दिनांकः–26.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से संबंधित शीर्ष में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक व अनियमित भुगतानो की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹540/– का अधिक भुगतान करना।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो

पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	188/17. 05.2022	मै0 परषोतम सिंह खुवाडा नूरपुर	वोल्डर	11340 (18@630)	11880 (18@660)	540

उपरोक्त बिल/वाउचर की आंमत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से **₹**540/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/444 दिनांकः–27/09/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.82/– लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॅारपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि **₹**81956/– का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था अथवा उसके समायोजन से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर / दिनांक / बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1	मनरेगा	79 / 17.05.2022	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	—	—	109
2	मनरेगा	80 / 17.05.2022	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	—	—	72
3	मनरेगा	82 / 17.05.2022	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	230	351.35	80810.5
4	मनरेगा	12 / 17.05.2022	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	—	—	213
5	मनरेगा	36 / 17.05.2022	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	—	—	377
6	मनरेगा	16 / 21.06.2023	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन नूरपुर	सीमेंट बैग	—	—	374
				कुल जोड			**81955.5**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 437 दिनांकः—26.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—शून्य दिनांक 27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान राशि के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करें तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. राशि ₹8.52/–लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹8,52,402/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1. 15वां वित	14,15/29. 05.2022	05/2022	निर्माण रास्ता नजदीक मैंगो ट्री से वेल तक वार्ड–4	70492	माप पुस्तिका
2.15वां वित	05,06/18. 05.2022	05/2022	निर्माण रास्ता महिन्द्र सिंह,रघुवीर सिंह, करनैल सिंह गांव डन्नी वार्ड–3	46328	माप पुस्तिका
3.15वां वित	07,08/18. 05.2022	05/2022	निर्माण रास्ता देव राज ,चन्दो और प्रकाश आदि गांव डन्नी वार्ड–3	22148	माप पुस्तिका
4.15वां वित	09/18.05. 2022	05/2022	निर्माण बाबडी सुडा और सुरक्षा कार्य गांव बासा धवियाला वार्ड–2	18973	माप पुस्तिका
5.15वां वित	10,12/18. 05.2022,24. 05.2022	05/2022	निर्माण रास्ता खुर्शीद मुहम्मद के घर से नागदीन घर वार्ड–1	54860	माप पुस्तिका
6.15वां वित	11,13/27, 29.05.2022	05/2022	निर्माण नाली और अतिरिक्त कार्य बाबडी डन्नी वार्ड–4	57889	माप पुस्तिका

7.मनरेगा	189 / 17. 05.2022	05 / 2022	निर्माण खेल मैदान जी.पी. एस.डन्नी पार्ट–2	83496	माप पुस्तिका
8.मनरेगा	16 / 21.06. 2023	06 / 2023	निर्माण पंचवटी पार्क .डन्नी वार्ड–4	89100	माप पुस्तिका
9.मनरेगा	23,40,41 / 21,28.06. 2023	06 / 2023	निर्माण लिंक रोड / रास्ता सोगट से नरायण सिंह,नरिन्द्र पाल,प्रीतम सिंह इत्यादि घर सोगट वार्ड–5	162819	माप पुस्तिका
10.मनरेगा	83 / 17.05. 2022	05 / 2022	निर्माण एम्बुलेन्स रोड और पुल्ली के साथ सुरक्षा कार्य दुलेटा से बलदेव ,जरनेल ,बलवीर घर सोगट वार्ड–5	87135	माप पुस्तिका
11.मनरेगा	08 / 17.05. 2022	05 / 2022	निर्माण लिंकरोड / रास्ता सोगट से नरायण सिंह,नरेन्द्र पाल,प्रीतम सिंह इत्यादि सोगट वार्ड–5	159162	माप पुस्तिका
			कुल योग	**852402**	

निर्माण कार्यों की उक्त माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत डन्नी से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 440 दिनांकः–26 / 09 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27 / 09 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओ को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" व "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण कार्यो के खनन बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी व वैध ट्राजिंट पास फॉर्म की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया था।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/444 दिनांक:– 27.09.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत डन्नी को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–शून्य दिनांक:–27.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹33.21/– लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया

जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही निम्न तालिका अनुसार ₹33,20,671/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त के अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

माह	**भुगतान की गई राशि (₹)**
05/22	2603204
06/23	717467
कुल योग	**₹3320671**

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/444 दिनांकः–27.09.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत डन्नी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/427 दिनांकः 20.09.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में

अपूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10.	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/427 दिनांकः–20.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–शून्य दिनांकः–27.09. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

15.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानो के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्राविधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो

के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये

15.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत डन्नी द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत डन्नी के चयनित मासो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.3 रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करके रसीदें खाली छोड़ने बारेः–

आय के नमूना अँकेक्षण में पाया गया है कि पंचायत द्वारा रसीद बुकों का अधूरा उपयोग करते हुये अंकेक्षणावधि में एक रसीद बुक में 82 रसीदें खाली छोड़ी गई थी जिनका विवरण निम्न तालिका में है। यह खाली रसीदें किस उद्देश्य से छोड़ी गई हैं इस बारे अँकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नही किया गया। अतः इस सन्देहजनक कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इन खाली रसीदों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्र॰	रसीद बुक क्रमाँक	उपयोग की गई अन्तिम रसीद संख्या/दिनांक	खाली रसीदों की संख्या
1.	0836701 से 0836800	0836718	82

16 लघु आपति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

क्रा0 150

5771 – 5775 29 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)272/2021—खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डन्नी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

29 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

क्रा0 150

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1 (क))

FINANCIAL POSITION OF GP DANNI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	236526.00	194585.71	431111.71	168096.00	263015.71
2023-24	263015.71	174789.00	437804.71	294688.00	143116.71

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1918308.82	4916823.98	6835132.80	5075154.00	1759978.80
2023-24	1759978.80	2301690.00	4061668.80	2224404.00	1837264.80

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block [illegible]
Distt. [illegible]

32

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DANNI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH FC	2022-23	325321.00	310969.71	636290.71	386100.00	250190.71
		2023-24	250190.71	412917.00	663107.71	239139.00	423968.71
2	TSC	2022-23	67000.00	0.00	67000.00	0.00	67000.00
		2023-24	67000.00	0.00	67000.00	0.00	67000.00
3	VKVNY	2022-23	2147.00	0.00	2147.00	0.00	2147.00
		2023-24	2147.00	60000.00	62147.00	0.00	62147.00
4	IAY/AAY	2022-23	776.00	24.00	800.00	0.00	800.00
		2023-24	800.00	36.00	836.00	0.00	836.00
5	13TH/14TH FC	2022-23	175163.82	0.00	175163.82	0.00	175163.82
		2023-24	175163.82	0.00	175163.82	0.00	175163.82
6	IWDP	2022-23	23274.00	673.27	23947.27	0.00	23947.27
		2023-24	23947.27	0.00	23947.27	0.00	23947.27
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1324627	1545572.00	2870199.00	1629469.00	1240730.00
		2023-24	1240730.00	125528.00	1366258.00	282056.00	1084202.00
8	MGNREGA	2022-23	0.00	3059585.00	3059585.00	3059585.00	0.00
		2023-24	0.00	1703209.00	1703209.00	1703209.00	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

33

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत डन्नी विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176203

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत डन्नी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / एस.डी.आर.एफ / आई.सी.डी.एस / वी.के.वी.एन. आर जी एस A वाई / एम.पी.लेड, टी.एस.जी	का•के•सह•बैंक नूरपुर	20003062158	543810.82	601279.24
2	आई.ए.वाई / ए.ए.वाई	का•के•सह•बैंक नूरपुर	50051961111	776.00	823.00
3	आई.डबल्यू.डी.पी	का•के•सह•बैंक नूरपुर	20003062759	23274.00	24675.27
4	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	आई•सी•आई•सी•आई•बैंक जस्सूर	374401000251	1324627.00	1198964.00
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)			00	900
			कुल जोड.	**1892487.82**	**1826641.51**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

34

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत डन्नी विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176203

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 490 परिवारों का रु 30,50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा 2023–24 में 499 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	21990	490	30/50	22340	44330	49760	-5430(ADV.)
2023–24	-5430(ADV.)	499	50	24950	19520	15850	3670
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹3670**/– है।						

2022–23 ए.पी.एल –382x50 =19100
बी.पी.एल –108x30 = 3240

2023–24 ए.पी.एल –391x50 =19550
बी.पी.एल –108x 50 =5400

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

38

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या – 6.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत डन्नी विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176203

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022–23	4750
2	2023–24	2300
	जोड	**7050**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

86

परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या-"ख.3")

अंकेक्षण अवधि वर्ष 2022-23 & 2023-24 के दौरान क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बंधित ब्यौरा							
क्र .स	वाउचर संख्या ब दिनांक	फार्म का नाम	बिल संख्या /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
		15 TH 2022-23 & 2023-24					
1	16/10-07-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA (NURPUR)	11/27-05-2022	AGGREGATE	2 CUM	1250	2500
				AGGREGATE	9 CUM	660	5940
				SAND	9.30CUM	660	6138
				BOULDER	9.50 CUM	630	5859
2	29/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA (NURPUR)	23/27-05-2022	AGGREGATE	5CUM	1259	6250
				SAND	1.5CUM	1800	2700
				BOULDER	4 CUM	630	2520
				SAND	1.85 CUM	660	1221
3	31/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA	25/03-06-2022	AGGREGATE	14CUM	1259	17500
				SAND	4 CUM	660	2640
				BOULDER	17CUM	630	10710
				SAND	9 CUM	1800	16200
4	33/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA	24/27-05-2022	AGGREGATE	12.50CUM	1250	15625
				SAND	7 CUM	1800	12600
				BOULDER	7CUM	630	4410
				SAND	7.50 CUM	630	4725
5	34/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA	14/27-05-2022	AGGREGATE	5CUM	1250	6250
				AGGREGATE	5 CUM	660	3300
				BOULDER	9CUM	630	5670
				SAND	7CUM	1800	12600
6	35/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER SUPPLIER VPO KHUWARA	13/27-05-2022	AGGREGATE	4CUM	660	2640
				AGGREGATE	8CUM	1250	10000
				BOULDER	12CUM	630	7560
				SAND	10CUM	1800	18000
7	36/06-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER	12/27-05-2022	AGGREGATE	6CUM	1250	7500
				SAND	6CUM	1800	10800
				BOULDER	8CUM	630	5040
8	37/18-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	38/02-08-2022	AGGREGATE	2.30 CUM	1600	3680
				SAND	7.08 CUM	1600	11328
9	38/18-08-	PARSHOTAM SINGH	26/03-06-2022	BRICKS	1300 NO	10	13000
10	39/18-08-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	39/02-08-2022	AGGREGATE	8 CUM	1600	12800
				SAND	1.375 CUM	1600	2200
11	43/13-09-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR GENERAL ORDER	40/06-09-2022	SAND	6 CUM	2000	12000
				AGGREGATE	4 CUM	1800	7200
				AGGREGATE	3.70 CUM	1600	5920
12	46/13-09-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	41/06-09-2022	AGGREGATE	8.80 CUM	1600	14080
				SAND	3.70 CUM	1600	5920
13	56/07-10-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	45/25-08-2022	AGGREGATE	1.60CUM	1600	2560
				SAND	2.40 CUM	1600	3840

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

37

Technical Assistant
G.P. Danni
Dev. Bl. Nurpur (H.P.)

हस्ताक्षर
दिनांक

13	60/07-10-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	64/01-10-2022	BRICKS	300	10	3000
14	68/18-10-2022	MANGAL SINGH GOVT CONTRACTORVILL DANNA (NURPUR)	26/06-10-2022	BOULDER	12CUM	1550	18600
15	69/18-10-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	65/01-10-2022	AGGREGATE	4.30CUM	1600	6880
				SAND	4CUM	2000	8000
16	70/21-10-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	66/01-10-2022	AGGREGATE	7.30CUM	1600	11680
				SAND	5.70 CUM	1600	9120
17	71/21-10-2022	MANGAL SINGH GOVT CONTRACTORVILL DANNA (NURPUR)	29/20-10-2022	BOULDER	6.50 CUM	1550	10075
18	72/30-10-2022	MANGAL SINGH GOVT CONTRACTORVILL DANNA (NURPUR)	30/20-10-2022	BOULDER	7CUM	1550	10850
19	73/21-10-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	67/20-10-2022	AGGREGATE	1.12CUM	1600	1792
				SAND	2 CUM	1600	3200
20	77/18-12-2022	MANGAL SINGH GOVT CONTRACTORVILL DANNA (NURPUR)	36/06-12-2022	BOULDER	6 CUM	1550	9300
21	78/18-12-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	75/07-12-2022	SAND	2.625 CUM	1600	4200
22	80/18-12-2022	MANGAL SINGH GOVT CONTRACTORVILL	35/06-12-2022	BOULDER	8CUM	1550	12400
23	81/18-12-2022	PARSHOTAM SINGH GOVT CONTRACTOR	76/07-12-2022	SAND	2.90CUM	1600	4640
						TOTAL A	415163[illegible]
SDRF 2022-23 &2023-24							
24	38/09-01-2024	M/S LAKHWINDER SINGH GOVT CONTRATOR	21/28-11-23	AGGREGATE	20CUM	870	17400
				AGGREGATE	10 CUM	850	8500
				SAND	16CUM	898	14398
						TOTAL B	40298
MGNREGA 2022-23 & 2023-24							
25	189/ 17/05/2022	PARSHOTAM SINGH	160/ 27/12/2021	AGGRIGATE	43	660	28380
				SAND	41	660	27060
				BOULDER	40	630	25200
26	187/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	154/ 15/11/2021	AGGRIGATE	25	660	16500
				SAND	25	660	16500
27	180/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	147/ 15/11/2021	AGGRIGATE	28	660	18480
				SAND	15	660	9900
28	185/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	152/ 15/11/2021	AGGRIGATE	26	660	17160
				SAND	13	660	8580
29	179/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	146/ 15/11/2021	AGGRIGATE	21	660	13860
				SAND	11	660	7260
				AGGRIGATE	52	660	34320

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)

G.P. Danni
Dev. Bl. Nurpur (H.P.)

30	190/ 17/05/2022	PARSHOTAM SINGH	161/ 27/12/2021	SAND	27	660	17820
				BOULDER	14	630	8820
31	199/ 17/05/2022	PARSHOTAM SINGH	161/ 03/02/2022	AGGRIGATE	60	660	39600
				SAND	32	660	21120
				BOULDER	13	630	8190
32	181/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	148/ 15/11/2021	aggrigate	30	660	19800
				sand	11	660	7260
33	183/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	150/ 15/11/2021	aggrigate	26	660	17160
				SAND	22	660	14520
34	188/ 17/05/2022	PARSHOTAM SINGH	155/ 15/11/2021	AGGRIGATE	45	660	29700
				SAND	28	660	18480
				BOULDER	18	660	11880
35	184/ 17/05/2022	PARSHOTAM SINGH	151/ 15/11/2021	AGGRIGATE	9	660	5940
				SAND	4	660	2640
				SAND CRUSHER	4	1800	7200
36	186/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	153/ 15/11/2021	AGGRIGATE	11	660	7260
				SAND	9	660	5940
37	200/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	172/ 03/02/2022	AGGRIGATE	11	660	7260
				SAND	6	660	3960
38	182/ 17/05/20	PARSHOTAM SINGH	149/ 15/11/2021	AGGRIGATE	11	660	7260
				SAND	6	660	3960
39	15/ 20/06/2023	parshotam singh	046/ 28/08/2022	aggrigate local	25	660	16500
				sand local	8	660	5280
40	31/ 28/06/2023	parshotam singh	92/ 21/02/2023	sand	29	1111	32219
				aggrigate 20	15	1276	19140
				aggrigate 40	41	1069	43829
41	32/ 28/06/2023	parshotam singh	1/ 06/03/2023	agg. 20mm	15	1276	19140
				agg. 40mm	38	1069	40622
				sand	31	1111	34441
42	35/ 28/06/2023	parshotam singh	95/ 21/02/2023	sand	7	1111	7777
				agg. 10mm	0.87	1281	1114
				agg. 20mm	4.5	1276	5742
				agg. 40mm	9	1069	9621

38

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block ...
Distt. Kangra (H.P.)

43	37/ 28/06/2023	parshotam singh	93/ 21/02/2023	sand	21	1111	23331
				agg. 10mm	2	1281	2562
				agg. 20mm	8	1276	10208
				agg. 40mm	22	1069	23518
44	40/ 28/06/2023	parshotam singh	97/ 21/02/2023	sand	40	1111	44440
				agg. 10mm	9	1281	11529
				agg. 20mm	23	1276	29348
				agg. 40mm	44	1069	47036
45	41/ 28/06/2023	mangal singh	301/ 25/02/2023	stone solling	36	766	25576
46	43/ 30/06/2023	mangal singh	304/ 22/03/2023	bolder	2.3	1550	3561
						TOTAL C	945504
GRAND TOTAL(A+B+C)							1400965

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Danni,
Dev. Block Nurpur,
Distt. Kangra (H.P.)